

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

संचारी रोग प्रभाग

वी. रामलिंगस्वामी भवन, पी.ओ. बॉक्स नंबर 4911 अंसारी नगर, नई दिल्ली - 110029, भारत

रिक्ति अधिसूचना

विज्ञा. सं. वी-9/2026/सीडी

दिनांक: 10.06.2026

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अधीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संक्रामक रोगों की निगरानी, जांच, अनुसंधान, प्रकोप की जांच और जन स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल से निपटने की तैयारी के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को मज़बूत करने के उद्देश्य से उच्च-रोकथाम हेतु प्रयोगशालाओं का एक विस्तृत नेटवर्क स्थापित किया है। वर्तमान में, डीएचआर-आईसीएमआर नेटवर्क के अंतर्गत उच्च-रोकथाम हेतु 11 प्रयोगशालाएं (बीएसएल-3 /बीएसएल-4) का संचालन किया जा रहा है, तथा 17 अतिरिक्त प्रयोगशालाएं योजना, विनिर्माण, कार्यान्वयन और संचालन के विभिन्न चरणों के अधीन हैं।

बीएसएल-3 और बीएसएल-4 प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं संचालन में विशेष रूप से उच्च इंजीनियरिंग प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसमें कि एचवीएसी, एचईपीए फिल्ट्रेशन, एफ्लुएंट डीकंटेमिनेशन सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन और बायोसेफ्टी-क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवरोधन शामिल हैं। इसके लिए प्रोजेक्ट लाइफ साइकल और संचालन चरण के दौरान लगातार तकनीकी देखरेख की ज़रूरत होती है। इन सुविधाओं की योजना, डिज़ाइन समीक्षा, निर्माण की निगरानी, कार्यान्वयन, वैलीडेशन, प्रमाणीकरण, संचालन और रखरखाव में तकनीकी सहायता के लिए, परिषद मुख्यालय में संविदा और अस्थाई आधार पर परियोजना मोड में एक अनुभवी परामर्शक रखने की आवश्यकता है।

नीचे दी गई उल्लेखित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक उम्मीदवार, पीडीएफ प्रारूप में उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन पत्र के साथ इस ईमेल आईडी: jitendra.narayan@gov.in पर दिनांक 24.06.2026, सायं 05:30 बजे तक भेज सकते हैं।

पद का नाम	परामर्शक (इंजीनियरिंग -बीएसएल-3/बीएसएल-4)
पदों की संख्या	एक (01)
अनिवार्य अर्हता	मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एचवीएसी इंजीनियरिंग, जैव-सुरक्षा इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में बीई/बी.टेक डिग्री वाले पेशेवर, तथा योग्यता प्राप्ति के बाद कम से कम 8 वर्षों का अनुभव हो। या अपेक्षित योग्यता रखने वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, जो नियमित वेतन लेवल 10 या उससे उच्च स्तर के पद पर रहे

	हों और जिनके पास संबंधित विशेषज्ञता में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो।
वांछनीय	बीएसएल-3/बीएसएल-4 रोकथाम सुविधाओं के डिजाइन, कमीशनिंग, प्रमाणीकरण, संचालन अथवा प्रमाणन तथा अनुरक्षण में सिद्ध कार्यानुभव।
आयु-सीमा	60 वर्ष
समेकित वेतन	1,00,000/- प्रतिमाह समेकित
संविदा की अवधि	एक वर्ष (प्रारंभिक) एवं आवश्यकता अनुसार विस्तारित
तैनाती का स्थान	परिषद मुख्यालय/ कार्य की आवश्यकता के अनुसार कहीं भी।
चयन प्रक्रिया	व्यक्तिगत चर्चा
पद से अपेक्षित दायित्व	अनुलग्नक-I
आवेदन प्रारूप	अनुलग्नक-II

नियम और शर्तें:-

1. आयु सीमा में छूट भारत सरकार के नियमों के अधीन होगी।
2. अर्हता और अनुभव संबंधित विषय/क्षेत्र में और संबंधित प्राधिकरण द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी प्रतिष्ठित संस्थान/संगठन से होने चाहिए। अनुभव की गणना न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी होने की तारीख से की जाएगी।
3. व्यक्तिगत चर्चा और/या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया के दौरान गलत या झूठी जानकारी देने पर किसी भी चरण में उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
4. केवल अनिवार्य अर्हता/ अनुभव पूरा करना चयन की गारंटी नहीं है।
5. उपर्युक्त पद निर्धारित अवधि के लिए संविदा आधार पर है, जिसका नवीनीकरण संतोषजनक कार्य और आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।
6. आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से की जाएगी।
7. यह पद पूर्णतः अस्थायी है और इसकी अवधि परियोजना के साथ ही समाप्त हो जाएगी। कर्मचारियों को समेकित वेतन के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
8. नियुक्ति व्यक्तिगत चर्चा एवं/अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राप्त परिणामों के आधार पर की जाएगी।
9. परिषद में संविदा नियुक्ति के आधार पर चयनित उम्मीदवार का नियमित नियुक्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।
10. विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल छंटनी किए गए उम्मीदवारों को फ़ोन/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा और उन्हें साक्षात्कार/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. अपूर्ण आवेदन, बिना फ़ोटोग्राफ़ या प्रासंगिक प्रमाण-पत्रों की प्रतियों के बिना, तथा निर्धारित प्रारूप में न भेजे जाने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परिषद के

- महानिदेशक पदों की संख्या बढ़ाने/घटाने, आवेदनों को अस्वीकार करने या रद्द करने या अधिसूचना को बिना किसी कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
12. साक्षात्कार/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।
 13. उम्मीदवार द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी प्रकार की सिफारिश करना या चयन/भर्ती के संबंध में राजनीतिक अथवा बाहरी दबाव डलवाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
 14. छंटनी किए गए उम्मीदवारों को अनिवार्य अर्हकता और अनुभव के सत्यापन के बाद व्यक्तिगत चर्चा और/या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बुलाया जाएगा।
 15. चयन समिति योग्य उम्मीदवारों के मामले में अनुभव की अवधि कम करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

सामान्य शर्तें: रोजगार की शर्तें संविदा आधार पर तैनात परियोजना कर्मियों के समान होंगी। उम्मीदवारों को किसी भी नियमित नियुक्ति का दावा करने का अधिकार नहीं होगा और वे नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले किसी भी भत्ते के पात्र नहीं होंगे।

नोट: परिषद मुख्यालय/संस्थान/केंद्रों में परामर्शकों की नियुक्ति के लिए दिनांक 26.11.2024 को जारी किए गए दिशा-निर्देश, जिन्हें परिषद के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/84/2023-Admn II/eFile-171470 दिनांक 08.05.2026 द्वारा संशोधित किया गया है, इस रिक्ति अधिसूचना और उसके बाद की नियुक्ति की प्रक्रिया की शर्तों और नियमों को नियंत्रित करेंगे। किसी भी विसंगति की स्थिति में, समय-समय पर संशोधित उपरोक्त दिशा-निर्देशों के प्रावधान प्रभावी होंगे और बाध्यकारी रहेंगे।

परामर्शक पद से अपेक्षित दायित्व (इंजिनियरिंग-बीएसएल-3/बीएसएल-4)

परामर्शक स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग/भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आने वाली बीएसएल-3 प्रयोगशालाओं के लिए तकनीकी विशेषज्ञता और इंजीनियरिंग पर्यवेक्षण प्रदान करेगा, जिसमें वे प्रयोगशालाएँ शामिल होंगी जो वर्तमान में संचालित, निर्माणाधीन, कमीशनिंग के चरण में या प्रस्तावित हैं। परामर्शक उच्च-रोकथाम हेतु प्रयोगशाला अवसंरचना के सुरक्षित, नियमों के अनुरूप, कुशल और सतत संचालन में सहयोग करेगा।

1. योजना एवं डिजाइन में सहयोग

- बीएसएल-3 सुविधाओं के वास्तुशिल्प, सिविल, संरचना, यांत्रिक, विद्युत, प्लंबिंग (एमईपी), एचवीएसी, स्वचालन तथा जैव-सुरक्षा अभियांत्रिकी डिजाइनों की समीक्षा करना।
- बीएसएल-3 स्थापना एवं प्रमाणन (2024) के लिए डीबीटी-आईसीएमआर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश, डब्ल्यूएचओ प्रयोगशाला जैव-सुरक्षा नियमावली तथा अन्य संबंधित दिशा-निर्देशों सहित लागू राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप डिजाइनों के अनुपालन की जांच करना।
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों, निविदा विनिर्देशों, इंजीनियरिंग आरेखों तथा तकनीकी निविदा दस्तावेजों की तैयारी एवं समीक्षा के दौरान तकनीकी सुझाव/इनपुट प्रदान करना।
- रोकथाम प्रणाली, ऊर्जा दक्षता, स्थिरता और संचालन की विश्वसनीयता के लिए इंजीनियरिंग समाधान के सुझाव।
- मौजूदा सुविधाओं में प्रस्तावित बदलावों, विस्तार और रेट्रोफिटिंग का मूल्यांकन करना।

2. निर्माण की निगरानी और परियोजना प्रबंधन

- बीएसएल-3 सुविधाओं के निर्माण कार्यों की निगरानी करना तथा अनुमोदित डिजाइनों, विनिर्देशों एवं रोकथाम की आवश्यकताओं के अनुपालन का आकलन करना।
- निर्माण के दौरान समय-समय पर साइट का निरीक्षण और तकनीकी ऑडिट करना।
- परियोजना की प्रगति की समीक्षा करना, तकनीकी बाधाओं की पहचान करना तथा सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा करना।
- एचवीएसी प्रणालियों, एचईपीए निस्पंदन(फिल्ट्रेशन) प्रणालियों, बीएमएस, प्रवेश नियंत्रण प्रणालियों, अपशिष्ट द्रव विसंदूषण प्रणालियों तथा प्रयोगशाला उपयोगिता

प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण कीटाणु रहित उपकरणों की स्थापना का सत्यापन करना।

- निर्माण और स्थापना के दौरान उत्पन्न होने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान में सहायता देना।

3. कमीशनिंग, अर्हता निर्धारण एवं प्रमाणीकरण

- महत्वपूर्ण अभियांत्रिकीय प्रणालियों हेतु कमीशनिंग प्रोटोकॉल की समीक्षा करना तथा कमीशनिंग गतिविधियों का प्रत्यक्ष सत्यापन/साक्षी बनना।
- निम्नलिखित की कार्य-निष्पादन अर्हता (परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन) एवं प्रमाणीकरण का आकलन करना।
- एचवीएसी रोकथाम प्रणालियाँ;
- एचईपीए कीटाणुरहित प्रणालियाँ;
- दाब विभेद एवं दिशात्मक वायु प्रवाह प्रणालियाँ;
- भवन प्रबंधन प्रणालियाँ (बीएमएस);
- अपशिष्ट द्रव कीटाणु रहित प्रणालियाँ (ईडीएस);
- पास बॉक्स, डंक टैंक तथा कीटाणु रहित उपकरण;
- विद्युत बैकअप एवं आपातकालीन प्रणालियाँ;
- प्रवेश नियंत्रण एवं निगरानी प्रणालियाँ।
- प्रमाणीकरण प्रतिवेदनों की समीक्षा करना तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाइयों की अनुशंसा करना।
- प्रयोगशालाओं का परिचालन प्रारंभ करने एवं प्रमाणन प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्परता हासिल करने में सहायता प्रदान करना।

4. विद्यमान बीएसएल-3 सुविधाओं का परिचालन पर्यवेक्षण

- संचालित बीएसएल-3 प्रयोगशालाओं का समय-समय पर अभियांत्रिकीय आकलन करना।
- रोकथाम एवं उपयोगिता प्रणालियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना तथा जैव-सुरक्षा एवं जैव-संरक्षण को प्रभावित करने वाले जोखिमों की पहचान करना।
- निवारक अनुरक्षण कार्यक्रमों एवं अनुरक्षण अभिलेखों का मूल्यांकन करना।
- महत्वपूर्ण अवसंरचना एवं उपकरणों के जीवन-चक्र प्रबंधन तथा प्रतिस्थापन योजना के संबंध में परामर्श प्रदान करना।
- अभियांत्रिकीय विफलताओं, रोकथाम उल्लंघनों अथवा अवसंरचना-संबंधी घटनाओं की जांच करना तथा सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा करना।
- सुविधा के कार्य-निष्पादन, विश्वसनीयता तथा ऊर्जा दक्षता के अनुकूलन सहयोग प्रदान करना।

5. प्रमाणीकरण एवं अनुपालन संबंधी सहायता

- राष्ट्रीय बीएसएल-3 प्रमाणीकरण की आवश्यकताओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- पूर्व-प्रमाण आकलनों, अंतराल (गैप) विश्लेषणों तथा सुधारात्मक कार्रवाइयों की समीक्षाओं में भाग लेना।
- जैव-सुरक्षा, अभियांत्रिकीय, व्यावसायिक सुरक्षा, पर्यावरणीय तथा सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन की समीक्षा करना।
- प्रमाण एवं विनियामक निरीक्षणों के दौरान चिन्हित टिप्पणियों/आपत्तियों के निराकरण में संस्थानों को सहायता प्रदान करना।
- बीएसएल-3 प्रयोगशालाओं के राष्ट्रीय नेटवर्क में अभियांत्रिकीय प्रक्रियाओं के समरूपीकरण में सहयोग प्रदान करना।

6. तकनीकी परामर्श एवं क्षमता निर्माण

- बीएसएल-3 सुविधाओं हेतु अभियांत्रिकीय मार्गदर्शन दस्तावेजों, एसओपी, अनुरक्षण प्रोटोकॉल तथा तकनीकी चेकलिस्ट तैयार करने में सहायता प्रदान करना।
- अभियंताओं, सुविधा प्रबंधकों, जैव-सुरक्षा अधिकारियों तथा प्रयोगशाला कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं के संचालन में सहायता प्रदान करना।
- उच्च-रोकथाम हेतु प्रयोगशाला अवसंरचना से संबंधित उभरती प्रौद्योगिकियों एवं सर्वोत्तम प्रक्रियाओं पर डीएचआर/आईसीएमआर को विशेषज्ञ तकनीकी सलाह प्रदान करना।
- परिषद द्वारा नियुक्ति पर विशेषज्ञ समितियों, तकनीकी समीक्षा बैठकों तथा कार्यस्थल मूल्यांकन में भाग लेना।

7. दस्तावेजीकरण एवं रिपोर्टिंग

- कार्यस्थलों के दौरे करने के पश्चात विस्तृत तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन, आकलन प्रतिवेदन तथा अनुशंसाएँ तैयार करना।
- सुविधा मूल्यांकन, अनुपालन स्थिति तथा सुधारात्मक कार्रवाइयों की रिपोर्टों का रखरखाव करना।
- अवलोकनों, जोखिमों, अनुरूपताओं तथा अनुशंसित हस्तक्षेपों को उजागर करते हुए समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- बीएसएल-3 एवं बीएसएल-4 प्रयोगशालाओं की अवसंरचना से संबंधित तकनीकी नोट्स, संकल्पना-पत्र (कॉन्सेप्ट पेपर) तथा अनुशंसाएँ तैयार करना।

8. समन्वय एवं संपर्क-सूत्र

- वास्तुकारों, अभियांत्रिकी परामर्शदाताओं, ठेकेदारों, उपकरण विक्रेताओं, प्रमाणीकरण एजेंसियों, प्रयोगशाला प्रबंधन तथा नियामक प्राधिकरणों के साथ समन्वय करना।
- तकनीकी समीक्षा बैठकों को सुगम बनाना और सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- परिषद को रणनीतिक योजना बनाने और राष्ट्रीय उच्च-रोकथाम हेतु प्रयोगशाला अवसंरचना को सुदृढ़ करने में सहयोग करना।

9. कोई अन्य दायित्व

डीएचआर/आईसीएमआर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए नियोजन, निर्माण, कमीशनिंग, प्रमाणन, संचालन, अनुरक्षण, जैव-सुरक्षा अभियांत्रिकी तथा उच्च- रोकथाम हेतु प्रयोगशाला सुविधाओं के सुदृढीकरण से संबंधित अन्य सभी तकनीकी कार्यों का निष्पादन करना।

आवेदन-प्रपत्र

आवेदित पद का नाम – परामर्शक (इंजीनियरिंग- बीएसएल-3/बीएसएल-4)

कृपया हाल ही का
पासपोर्ट आकार का
छायाचित्र
चिपकाएं।

1. पूरा नाम (सुस्पष्ट अक्षरों में)-
2. पिता/पति का नाम
3. जन्म-तिथि (कृपया प्रमाण संलग्न करें).....
4. आयु (आवेदन की अंतिम तारीख के अनुसार)
5. लिंग.....राष्ट्रीयता.....धर्म.....
6. पिनकोड सहित पत्राचार का पता
-
-
-
- ई-मेल.....टेलीफोन.....
- मोबाइल
7. स्थायी पता (पिन कोड सहित)
-
-
8. शैक्षिक अर्हकताएं (स्नातक से शुरू करें)

क्र. सं.	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/विश्वविद्यालय/ संस्थान	विषय/विशेषज्ञता	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्रतिशत

9. कार्य-अनुभव का विवरण (रोज़गार का विवरण)

क्र.सं.	नियोक्ता का नाम	वेतन लेवल	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	कार्यभार छोड़ने की तारीख	कुल अवधि	कार्य विवरण

10. बीएसएल -3 में विशेष प्रशिक्षण का विवरण, यदि कोई हो

- i.
- ii.
- iii.

11. घोषणा:

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य, पूर्ण एवं सही है। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि किसी भी चरण में दी गई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति बिना किसी सूचना या प्रतिपूर्ति के निरस्त/समाप्त की जा सकती है।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पूरा नाम:

स्थान:.....

तारीख:.....

अनुलग्नक:

1.
2.
3.
4.

नोट: आवेदक, कार्य के अनुभव का दावा करने के लिए कृपया प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि और प्रकाशनों की सूची (यदि कोई हो) आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें।